फिल्म प्रमाणन की मार्गदर्शिका

चलचित्र अधिनियम के अनुसार वह फिल्म प्रमाणित नहीं करना चाहिए जिसके किसी भाग में भारत की प्रभुसत्ता और अखंड़ता पर संदेह व्यक्त करता हो , देश की सुरक्षा जोखिम या खतरे में पड़ सकती हों , विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों, कानून व्यवस्था, किसी व्यष्टि या व्यष्टि–निकाय या न्यायालय की मानहानि या अवमानना होती हो

धारा 5 ख (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार ने निम्नलिखित अधिसूचना जारी किए है।

1- फिल्म प्रमाणीकरण का उद्धेश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि :

(क) फिल्म माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बना रहें

(ख) कलात्मक अभिव्यक्ति और सर्जनात्मक स्वतंत्रता पर असम्यक रूप से रोक न लगाई जाए

(ग) प्रमाणन–व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी हो

(घ) फिल्म माध्यम स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करें: और

(ड़) यथासंभव फिल्म सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण और चलचित्र की दृष्टि से अच्छे स्तर की हो ।

2- उपर्युक्त उद्धेश्यों के अनुसरण में फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि

(1) हिंसा जैसी समाज विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहराई जाएं

(2) अपराधियों की कार्यप्रणाली, अन्य दृश्य या शब्द जिनसे कोई अपराध का करना उद्धीप्त होने की संभावना हो, चित्रित न की जाए

(3) ऐसे दृश्य न दिखांए जाएं जिनमें :–

(क) बच्चों को हिंसा का शिकार या अपराधकर्ता के रूप में, अथवा हिंसा के बलात दर्शक के रूप में शरीक होते दिखाया गया हो या बच्चों का किसी प्रकार दुरूपयोग किया गया हो :

(ख) शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांब व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो अथवा मजाक उड़ाया गया हो : और

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता या उनका दुरूपयोग के दृश्य अनावश्यक रूप से न दिखाए जाए ।

(4) मूलतः मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिंसा,क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य और ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनसे लोग संवेदनहीन या अमानवीय हो सकते हो :

(5) वे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें मद्यपान को उचित ठहराया गया हो या उसका गुणगान किया गया हो ।

(6) नशीली दवाओं के सेवन को उचित ठहराने वाले या उनका गुणगान करनेवाले दृश्य न दिखाए जाएं ।

(6) (क)तंबाकू सेवन या धूम्रपान को बढ़ावा देने,न्यायोचित ठहराने या उसे गौरवान्वित करनेवाले दृश्य न दिखाए जाए ।

(7) अशिष्टता,अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को चोट न पहूँचाई जाए

(8) दो अर्थों वाले शब्द न रखे जाएं जिनसे नीच प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता हो ।

(9) महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का तिरस्कारपूर्ण या उन्हें बदनाम करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं ।

(10) महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा जैसे बलात्संग की कोशिश,बलात्संग अथवा किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न या इसी किस्म के दृश्यों से बचा जाना चाहिए तथा यदि कोई ऐसी घटना विषय के लिए प्रासंगिक हो तो ऐसे दृश्यों को कम से कम रखा जाना चाहिए और उन्हें विस्तार से नहीं दिखाना चाहिए ।

(11) काम–विकृतियों दिखानेवाले दृश्यों से बचा जाना चाहिए । यदि विषयवस्तु के लिए ऐसे दृश्य दिखाना संगत हो तो इन्हें कम से कम रखा जाना चाहिए और इन्हें विस्तार से नहीं दिखाया जाना चाहिए।

(12) जातिगत,धार्मिक या अन्य समूहों के लिए अवमाननापूर्ण दृश्य प्रदर्शित या शब्द प्रयुक्त नहीं किए जाने चाहिए।

(13) सांप्रदायिक,रूढ़िवादी,अवैज्ञानिक या राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियों को दिखानेवाले दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

(14) भारत की प्रभुसत्ता और अखंड़ता पर संदेह व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए ।

(15) ऐसे दृश्य प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए जिनसे देश की सुरक्षा जोखिम या खतरे में पड़ सकती हों ।।

(16) विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों में मनोमालिन्य नहीं आना चाहिए ।

(17) कानून व्यवस्था खतरे में नहीं पड़नी चाहिए ।

(18) ऐसे दृश्य या शब्द नहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे किसी व्यष्टि या व्यष्टि निकाय या न्यायालय की मानहानि या अवमानना होती हो

व्याख्याः ऐसे दृश्य जिनसे नियमों के प्रति घृणा,अपमान या उपेक्षा पैदा हो या जो न्यायालय की प्रतिष्ठा पर आघात करें न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आएंगे ।

(19) संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम 1950 (1950 का 12) के

उपबन्धों के अनुरूप से अन्यथा राष्ट्रीय चिह्न और प्रतीक न दिखाए जाए ।

3. फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि :–

(1) फिल्म का मूल्यांकन उसके समग्र प्रभाव को दृष्टि में रखकर किया गया है और

(2) उस फिल्म पर उस काल, देश की तत्कालीन मर्यादाओं और फिल्म से संबंधित लोगों को ध्यान

में रखते हुए विचार किया गया है परन्तु फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो।

4. ऐसी फिल्में , जो उपर्युक्त मापदण्डों पर खरी उतरती हो, किन्तु अवयस्कों को दिखाए जाने के लिए अनुपयुक्त हों, केवल वयस्क दर्शकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रमाणित की जाएंगी ।

5. (1) निर्बाध सार्वजनिक प्रर्दशन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित

करेगा कि फिल्म परिवार के साथ देखने योग्य है अर्थात फिल्म ऐसी होनी चाहिए जिसे परिवार

के सभी सदस्य जिसमें बालक है, के साथ बैठकर देखा जा सकता हो ।

(2). फिल्म के स्वरूप, विषय वस्तु और उद्धेश्य को देखते हुए यदि बोर्ड का यह मत हो कि माता–पिता/अभिभावकों को सावधान करना ज़रूरी है कि क्या बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे को यह फिल्म दिखाई जाए तो निर्बाध सार्वजनिक प्रर्दशन के प्रमाणीकरण करते समय इस आशय का पृष्ठांकन किया जाएगा ।

(3) यदि फिल्म के स्वरूप, विष्य वस्तु और उद्धेश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का यह मत हो कि फिल्म का प्रर्दशन किसी व्यवसाय विशेष के सदस्यों या किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों तक सीमित रखा जाना चाहिए तो फिल्म सार्वजनिक प्रर्दशन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट दर्शकों तक सीमित रखने के लिए प्रमाणित की जाएगी ।

6- बोर्ड फिल्मों के शीर्षको की बड़े ध्यान से जांच करके सुनिश्चित करेगा कि ये शीर्षक उत्तेजक, अश्लील, आक्रामक अथवा उपर्युक्त मापदण्ड़ों में से किसी मानदण्ड का उल्लंघन न करते हो ।